Volume-3, Issue-9, Sept-2014 • ISSN No 2277 - 8160

Research Paper | Political Science

''भारत में संसदीय शासन की आवश्यकता एवं महत्व''

"Necessity and Importance of Parliamentary form of Government in India"

Dr.Surya Bhan Singh

Assistant Professor & Co-ordinator Deptt. Of Political Science
Uttarakhand open University, Haldwani ,Nainital(263139)

ABSTRACT

भारत में आजादी के बाद संसदीय शासन को अपनाया गया है।इसके साथ ही संघात्मक शासन को अपनाया गया है।संघात्मक शासन का आदर्श रूप संयुक्त राज्य अमेरिका है।ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि भारत में अमेरिका के समान संघात्मक शासन के साथ अध्यक्षात्मक शासन को क्यों नहीं अपनाया गया है।यह सवाल भारत के सन्दर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है।इसको अपनाने के पीछे जो कारण रहे हैं, उनमें एक यह है कि भारत ब्रिटेन के अधीन रहते हुए संसदीय मूल्यों और परिपाटियों से अवगत हो गया था ।

लेकिन यदि यही कारण अपनाने का होता तो संसद के उच्च सदन अर्थात 'राज्य सभा' के गठन में उसका अनुसरण क्यों नहीं किया गया।साथ ही उसके एकात्मक शासन को क्यों नहीं अपनाया गया।वरन उसके स्थान पर संघात्मक शासन को अपनाया है। अध्यक्षात्मक शासन के स्थान पर संसदीय शासन अप. नाया गया। इन्ही प्रश्नों के उत्तर तलासने की ललक ने इस विषय पर एक शोध कार्य करने और लिखने की आवश्यकता हुई।जिसमें भारत में संसदीय शासन की आवश्यकता एवं महत्व विषय का अन्वेषण किया जाएगा ।

KEYWORDS : संसदीय शासन, संघात्मक शासन, अध्यक्षात्मक शासन, संसद ,उच्च सदन ।

प्रस्तावना :

गठबंधन सरकार के दौर में(2014–1989) भारत में सरकारें अस्थिर रहीं जिसकी वजह से देष में राजनीतिक स्थिरता के लिए अध्यक्षात्मक षासन की मांग जोर पकडने लगी।लेकिन अंतिम रूप नहीं ले सकी।मांग उठने के पीछे प्रमुख कारण राजनीतिक स्थिरता से निपटने के साथ, निर्णय प्रक्रिया को तेज करना था।जिससे प्रगति के नए मानदंड द्रुत गति से स्थापित किये जा सकें।

परन्तु इसको अपनाने में कई समस्याएं थी।उन सब में यह प्रमुख था कि देष में पाई जाने वाली विविधता को राश्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से एक सूत्र में पिरोया जा सकेगा।चूंकि भारत के लिए जितना महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुगम बनाना ,जो एक स्थिर अध्यक्षात्मक षासन में बेहतर हो सकता है।उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है देष में विविधता को एक सूत्र में पिरोकर राश्ट्र निर्माण को प्रोत्साहित करना।क्योंकि आजादी के साथ ही भारत दुखद विभाजन के अनुभूति के साथ देषी रियासतों के विलयन की चुनौतियों से भी जूझ चुका था।यही नहीं देष के कई हिस्सों में आज भी अलागावादी सक्रिय है।इस लिए आवष्यकता इस बात की है कि इस तरह की विघटनात्मक प्रवृत्तियों का निराकरण कर विविध हितों को देष की संघीय सरकार में भागीदारी सुनिष्चित कर राश्ट्र राज्य को उत्तरोत्तर मजबूती प्रदान की जाए।प्रस्तुत द्योधपत्र में इन्ही आर्वैयकताओं और जरूरतों के सन्दर्भ में संसदीय षासन का अध्ययन किया जा रहा है।

संसदीय शासन की आवश्यकता एवं महत्व :

भारत एक ऐसा देष है, जहां विविधतायें अत्यधिक हैं।ये विविधतायें जाति, धर्म ,भाशा, क्षेत्र है।यही नहीं इसके साथ ही साथ प्रजातीय विविधता भी पाई जाती है।ये विविधताएं हितों के स्तर पर भी भिन्नता को प्रकट करती हुई दिखाई देती हैं।भौगोलिक संरचना में वि. विधता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।जिसके आधार पर देष की आजादी के बाद कई प्रदेषो का गठन किया गया है।इस विविधता की प्रकृति अत्यंत जटिल और उलझी हुई भी है।क्योंकि एक ही भाशा के लोग कई धर्म के मानने वाले है।जैसे उत्तर भारत में लगभग सभी धर्म के लोग हिन्दी बोलते हुई मिलते हैं।जबकि एक ही धर्म के लोग् अलग अलग भाशा के समूह में विभाजित दिखाई देते है।जैसे दक्षिण भारत के हिन्दू विभिन्न भाशाओं को बोलते हुए देखे जा सकते हैं।यही नहीं भारत में बहुसंख्यक हिन्दू किसी प्रदेश में अल्पसंख्यक के रुप में है।इसके साथ भौगोलिक संरचना में भिन्नता बड़े पैमाने पर भारत में सांस्कृतिक भिन्नता को प्रकट करती है।इसके आगे सामाजिक संरचना के स्तर पर जब हम देखते हैं, तो पाते हैं कि परम्परागत भारतीय समाज में समाज के विभिन्न पक्षों में जो भिन्नता दिखाई देती है वह संविधान निर्माताओं के लिए एक बड़ी चुनौती रही है।वह चुनौती यह रही है कि भारतीय समाज में संसाधनों के वितरण के स्तर पर असमानता ने सामाजिक संबंधों में स्तरीकृत पिरामिड को जन्म दिया।जिसने समाज के एक बड़े भाग को कठोर अमानवीय स्थिति में पहुँचा दिया। वह अमानवीय स्थिति थी अस्पृष्यता ।

भारतीय संविधान निर्माताओं के समक्ष यह चुनौती थी कि इन जटिल विविधताओं का निराकरण किस प्रकार से किया जाए।इन्हें कैसे राश्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ा जाए।साथ ही उनकी यह भी चिंता थी ये विविधतायें जो अंततः हितों की भिन्नता को प्रकट करने का आधार बनती हैं।इनके विविध हितों जो कभी–कभी विरोधी होती भी दिखाई देती हैं, की पूर्ति के साथ राश्ट्र की मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए ।

प्रस्तुत द्योधपत्र के इस चरण में अब सबसे पहले संसदीय द्यासन के महत्वपूर्ण पक्षों को स्प÷ट करना है ।क्योंकि इसकी स्पश्टता से ही हम भारत के सन्दर्भ में इसकी आवष्यकता और महत्व को जान सकेंगे। षासन के दो प्रमुख अंगों व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच सम्बन्ध के आधार दो प्रकार की षासन व्यवस्थाएँ प्रचालन में हैं।वे दोनों हैं संसदीय षासन और अध्यक्षीय षासन प्रणाली।संसदीय षासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच घनिश्ठ सम्बन्ध पाया जाता है।कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका के सदस्यों में से ही किया जाता है।साथ ही इसमें नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका के बीच भेद पाया जाता है।जबकि अध्यक्षीय षासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का गठन पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है।कार्यपालिका की षक्ति एक व्यक्ति में ही होती है ।इसमें नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका के बीच भेद नहीं पाया जाता है।अब हम इन विषेशताओं के आधार पर यह देखेंगें कि किस प्रकार से भारत के लिए संसदीय षासन उपयुक्त है।

सबसे पहली बात तो यह की भारत जैसे नवस्वतन्त्र जिसने आजादी की लड़ाई ही अपने स्वतंत्रता और द्रुत गति से विकास के लिए लड़ी। जिससे अभावमुक्त भारत बन सके।इसके लिए यह आवष्यक है कि एक ऐसे षासन प्रणाली की स्थापना की जाए जो देष की जरूरतों के अनुरुप अतिषीघ्र विधायन करते हुए उनका सफल क्रियान्वयन भी सुनिष्चित कर सके।चूंकि अध्यक्षात्मक षासन में यह संभव नहीं है क्यों कि इसमें व्यस्था. पिका और कार्यपालिका की पृथकता के कारण (विषेश रूप से जब दोनों में अलग अलग दल बहुमत में हो) कार्यपालिका को असफल सिद्ध करने के लिए आवष्यक विधान को बाधित करे तथा यह भी संभव है कि व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून का क्रियान्वयन उसकी भावना के अनुरूप त्वरित गति से कार्यपालिका न करे।इस तरह की समस्या या गतिरोध की स्थिति में यह संभव है कि भारत जैसे नवस्वतंत्र लोकतंत्र अपने देष के विविध न्यायसंगत हितों का समय रहते पोशण न कर सके।चूंकि भारत में जैसा कि हम ऊपर स्पश्ट कर चुके हैं कि भारत में हितों में विविधता है।यही नहीं इन विविध हितों में विरोध भी दिखाई देते हैं ।ऐसी स्थिति में एक ऐसे षासन की जरूरत है जो इन विरोधों का निराकरण करते हुए उन्हें एक सूत्र में पिरोकर उनके हितों की पूर्ती कर सके।इसका समाधान संविधान निर्माताओं ने ढूंढ निकाला।वह समाधान है संसदीय द्यासन।इस क्रम में हम स्पश्ट करना चाहते हैं कि इस षासन में मंत्रिपरिशद के गठन में ऊपर वर्णित समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रसस्त हो जाता है ।जैसा कि हम ऊपर यह स्पश्ट कर चुके हैं कि संवैधानिक प्रावधानों की सीमा में मंत्रिपरिशद में 82 सदस्य हो सकते हैं ।इस प्रकार से मंत्रिपरिशद के गठन में प्रधानमंत्री के पास यह संवैधानिक सुविधा संसदीय षासन से प्राप्त होती है कि वह देष के विविध हितों को मंत्रिपरिशद में षामिल कर सकते हैं।देष के विविध भाशा, जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग को मंत्रिपरिशद में स्थान देकर एक साथ दो महत्वपूर्ण उद्देष्यों की सिद्धि हो जाती है।एक तो विविधताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य एक तरफ अपने समूह के हितों का प्रतिनिधित्व षासन में करते हैं तो दूसरी तरफ इन विविध हितों के लिए मंत्रिपरिशद एक साझा मंच प्रदान करती है।चूंकि मंत्रिपरिशद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है।इस लिए मंत्रिपरिशद एक इकाई में परिवर्तित हो जाती है।जिससे मंत्रिपरिशद के सदस्य के रूप में षामिल ये विविधतायें एक माला का रूप ले लेती हैं।जिसका परिणाम होता है देष की सबसे बड़ी समस्या का निराकरण अर्थात विविधता के साथ एकता के नए मानदंड स्थापित करते हुए दिखाई देते हैं।यह हम भारत के किसी भी मंत्रिपरिशद के गठन और विस्तार में देख सकते है।इस प्रकार संसदीय षासन में ही वह सामर्थ्य थी, जो भारत जैसे देष के विविधताओं को अर्थात विविध हितों की पूर्ती करते हुए विविधता में एकता का संचार कर सके।तथा व्यस्थापिका और कार्यपालिका में घनिश्ठ सम्बन्ध से यह भी संभव है कि षासन के ये दोनों प्रमुख अंग पारस्परिक समन्वय से देष की आवष्यकता के अनुरूप विधायन और उसका सफल क्रियान्वयन सुनिष्चित कर सकें।इन्ही आवष्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए संसदीय षासन को अपनाने का निष्चय किया जो उतार चढ़ाव के साथ रचनात्मक दिषा में गतिषील है ।

निश्कर्श :

उक्त षोधपत्र के अध्ययन में मैंने यह पाया है कि भारत एक विविधता पूर्ण समाज है।जहां पर जाति, धर्म ,भाशा और क्षेत्र की विविधता पाई जाती है।चूंकि भारत आजादी के साथ ही, जहाँ एक तरफ दुखद विभाजन झेल रहा था तो दूसरी तरफ देषी रियासतों के तरफ से प्रतिरोध का सामना कर रहा था।जिसके निराकरण के लिए सैन्य षक्ति के प्रयोग तक की आवष्यकता हुई।इन परिस्थितियों में संविधान निर्माताओं के समक्ष एक बड़ा यक्ष प्रष्न था कि, किस प्रकार से इन विविधताओं को एक सूत्र में पिरोया जाए, जिससे कि ये सभी

देष के अंग के रूप में एकीकृत होकर, देष की मुख्य धारा से जुडकर उसको मजबूती देने का कार्य कर सके।हमने षोधपत्र में यह पाया है कि अध्यक्षात्मक षासन में कार्यपालिका का प्रधान एक मात्र व्यक्ति होता है।जिसके हाथ में समस्त षक्तियाँ होती हैं।अर्थात देष के सभी हितों को षासन में भागीदार बनाना इस षासन में संभव नहीं है।इस लिए इस नवजात लोकतंत्र में यह संभव था कि किसी समुदाय की उपेक्षा हो जाती।संविधान निर्मा. ता इस बात से बखूबी अवगत थे जबकि संसदीय षासन में मंत्रिपरिशद होती है जिसमें सुविधा और आवष्यकतानुसार मंत्रियों की संख्या घटाई या बढाई जा सकती है(भारत में यह संख्या 82 तक हो सकती है) जिसमें विविध हित समूहों को षासन में प्रतिनिधित्व संभव है।जिससे सभी समूहों को सुरक्षा की गारंटी मिल जाती।और ऐसा हुआ भी।साथ ही संसदीय षासन को अपनाने से देष में राश्ट्रीय एकीकरण की समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता था।जैसा कि हम यह स्पश्ट कर चुके हैं कि इसमें मंत्रिपरिशद में सभी जाति, धर्म, भाशा और क्षेत्र आदि हितों को षासन में भागीदारी से उनके हितों की जहाँ एक तरफ रक्षा हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ उनको राश्ट्र की मुख्य धारा में जुडने का अवसर मिलने से राश्ट्रीय एकीकरण की समस्या से काफी हद तक निजात पाया जा सकता है।और अभी तक के अनुभवों में हमने यह पाया भी है कि राश्ट्रीय स्तर पर सरकार के गठन में गठबंधन सरकार में क्षेत्रीय दलों की भागीदारी के द्वारा और एकदलीय सरकार में भी कोई भी प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के गठन में इस पक्ष की अनदेखी नहीं कर पाता है अर्थात वह सभी जाति, धर्म, भाशा और क्षेत्र आदि को षासन में प्रतिनिधित्व देता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार भारत में संसदीय शासन अपनाने से जहाँ एक तरफ देश के सभी समूहों को लोकतन्त्र के मूल्यों के अनरुप शासन में भागीदारी का अवसर के द्वारा अपने हितों को पोषित करने का अवसर मिला है तो दूसरी तरफ शासन में सभी हितो के भागीदारी के अवसर के द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण को बल मिला है ।

REFERENCES

1.ब्रज किषोर षर्मा – भारतीय संविधान द्य 2.डी.डी. बासु– भारतीय संविधान एक परिचय द्य 3.बेयर एक्ट ... भारतीय संविधान द्य 4.डॉ. आर. एन. त्रिवेदी डॉ.एपी राय – भारतीय सरकार एवं राजनीति द्य 5.डॉ. रूपा मंगलानी – भारतीय षासन एवं राजनीति द्य 6.डॉ. प्रभुदत्त षर्मा – भारतीय प्रषासन द्य 7.J.C.Jauhari –The Constitution of India द्य 8.राम अहूजा – भारतीय समाज द्य 9. डॉ. ए.पी. अवस्थी – भारतीय षासन एवं राजनीति द्य 10. कृष्णकान्त मिश्र – भारतीय षासन और राजनीति द्य 11.सी.बी. गेना – तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं द्य